न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल श्रृखला न्यायालय रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

692
30.9.14

R-3793-III/14

जबाहर सिहं तनय लालू सिह निवासी ग्राम हडवडो तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
------आवेदक

बनाम

1. म.प्र.शासन
2. विक्रम सिंह तनय रज्जू सिह उम्र 55 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम हडवडो तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
---अनावेदकगण

श्री राकेश तिवारी एड द्वारा आज दिनांक 30.9.14 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमाक ८५/अ'-१२/२०१३-१४ आदेश दिनांक २६.०५.१४

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म.प्र.भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न है

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य व सहज न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

क्रमांक 3494
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज प्राप्त
दिनांक 29-10-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय पटवारी हल्का हडवडो द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 08.05.14 का विवेचन सही ढंग से नही किया उक्त भूमि में अनावेदक क्र.2 का कतई कोई कब्जा दखल नही है उक्त भूमि में एक मात्र आवेदक सहित उनके भाईयों का कब्जा दखल है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत फील्ड बुक सहित स्थल पंचनामा को आधार मानते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय आवेदक को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया अधीनस्थ न्यायालय ने

R3793-III/14 सीधी (2) (27)

For

जवाहर सिंह / म.प्र. शासन

(31)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-15	→ आज अधिवक्तागण सामूहिक हड़ताल पर हैं। – वास्ते कायमी पर तर्क। C.F. 20-5-15 आज्ञा से, [signature] रीडर	
(27) 20-5-15	– आवेदक की ओर से श्री राकेश तिवारी अधिवक्ता उपस्थित। – वास्ते कायमी पर सुनवाई। C.F. 6-7-15 आज्ञा से, [signature] रीडर	N.F. 6-7-15 [signature]
(21) 6-7-15	1. आवेदक अभिभाषक श्री राकेश तिवारी उपस्थित। 2. माननीय सदस्य महोदय का रीवा आगमन नहीं हो सका 3. वास्ते कायमी पर तर्क पेशी तारीख 15.9.15 आज्ञा से [signature] रीडर राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर	N.F. 15/9/15 [signature]
(26) 15.9.15	आवेदक अभिभाषक ... कायमी पर तर्क सुने गए। [illegible] [signature]	
30.9.15	– आवेदक के अधिवक्ता को ग्राह्यता बिन्दु पर सुना गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। 2. यह निगरानी तहसीलदार गोपद बनास, जिला सीधी के आदेश दिनांक 26-5-14 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है जिसके साथ आदेश, सीमांकन प्रतिवेदन, फील्ड बुक, स्थल पंचनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। जिसके अवलोकन से पाया गया कि सीमांकन दिनांक 8-5-14 को किया गया उसी दिन स्थल पंचनामा एवं फील्ड बुक भी तैयार किया गया	

[signature] 30.9.15

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... .....जिला .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगरानी मेमो के माध्यम से निगराकार जवाहर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर तहसीलदार के आदेश दि. 26.5.14 के विरुद्ध आपत्ती ली गई है : 1) तहसीलदार ने अपने आदेश में राजस्वनिरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन एवं कार्यवाही का अनुमोदन करने का उल्लेख किया है जबकि ये प्रतिवेदन एवं कार्यवाही पटवारी के थे। 2) निगराकार जवाहर, जिसने सीमांकन का आवेदन लगाया था, मौके पर उपस्थित नहीं था और पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। 3) पटवारी ने अपने प्रतिवेदन एवं पंचनामे में जवाहर की भूमि स.न. 916 के आधे भाग पर विक्रम सिंह और आधे भाग पर बृजभान का कब्जा होने का उल्लेख किया है, जो कि निगराकार जवाहर के अनुसार असत्य है; इसके समर्थन में बृजभान का शपथपत्र दि. 19.9.14 पेश किया गया है, और जवाहर तथा विक्रम के बीच सिविल वादों का संदर्भ (निगरानी मेमो में) लिया गया है।	

30/9/15

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आभभाषकों आदि के हस्ताक्षर

निगरानीमेमो के अन्त में तहसीलदार का आदेश निरस्त कर नए सिरे से सीमांकन हेतु निवेदन किया गया है। विलम्ब की माफी की प्रार्थना धारा 5 के आवेदन के साथ की गई है।

मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया एवं निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गए।

चूंकि निगरानीकार जवाहर, जो सीमांकन के आवेदक थे, वे हस्ताक्षर सीमांकन से संबंधित पंचनामे अथवा अन्य किसी दस्तावेज पर उपलब्ध नहीं हैं, अतः इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सीमांकन उनकी अनुपस्थिति में हुआ होगा। यह अनुचित था क्योंकि जवाहर विपक्षीगण भूमि के भूमिस्वामी होना बताए गए हैं एवं चूंकि उनके स्वयं के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही को संदिग्ध बताकर उसपर प्रश्नचिह्न लगाया जा रहा है।

तहसीलदार द्वारा पटवारी की कार्यवाही एवं प्रतिवेदन को (जो रिकार्ड की प्रति देखने से स्पष्ट होजाता है) राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं कार्यवाही मानना इस बात का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक........................ जिला ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्योतक है कि तहसीलदार द्वारा अपना आदेश पारित करने के पूर्व सावधानीपूर्वक प्रकरण का परीक्षण नहीं किया गया।	
	अनावेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष, पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामे के बिन्दुओं को असत्य बताते हुए, शपथपत्र दिया जाना, समस्त कार्यवाही को और संदिग्ध बनाता है।	
(i) न्यायहित में इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है, तथा	इन कारणों के प्रकाश में मेरे द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त (i) तहसीलदार गोपदबनास, जि. सीधी द्वारा उनके प्र. क्र. 35/अ-12/13-14 में पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दि. 26.5.14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है।	
	साथ ही तहसीलदार गोपदबनास को यह आदेश दिया जाता है कि RI एवं पटवारियों का एक दल बनाकर निगरानीकार, गजवाटर द्वारा उनके समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किए गए सीमांकन आवेदन के प्रकाश में, नए सिरे से विधिवत सीमांकन कराकर बोलता हुआ आदेश पारित करें, तथा भविष्य में अपने आदेशों को सावधानी से पारित करें। तहसीलदार उपरोक्त समस्त कार्यवाही इस आदेश की उनको संसूचना के तीन माह के भीतर आवश्यक: पूर्ण कराएं।	

प्रकरण समाप्त किया जाता है। दा. द. हो।

30.9.15

[कृ. प. उ.